

कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ छत्तीसगढ़
ओ-5, अनुपम नगर, रायपुर

विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007

छत्तीसगढ़ शासन

- (1) विभाग का नाम :- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग
(2) राज्य मंत्री का नाम :- माननीय श्री राजेश मूणत (स्वतंत्र प्रभार)

सचिवालय

- (3) विशेष सचिव का नाम :- श्री विनोद गुप्ता
(4) उप सचिव का नाम :- श्री शंकर राव ब्राह्मणे

विभागाध्यक्ष भाग-1

- (6) विभागीय संरचना :- विभागाध्यक्षीय कार्यालय, मुख्यालय रायपुर
(7) विभागाध्यक्ष का नाम :- श्री संजीव बख्शी
रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ छत्तीसगढ़ रायपुर
(8) अधीनस्थ कार्यालय :- दो संभागीय कार्यालय क्रमशः रायपुर एवं बिलासपुर में स्थित है ।
(9) विभाग के अंतर्गत आने वाले मण्डल उपक्रम/संस्थाओं का विवरण :- निरंक
(10) विभाग का दायित्व :- रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ को निम्न अधिनियमों के तहत पंजीयन व प्रशासन का कार्य सौंपा गया है :-
1. भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932
2. छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973
(संशोधित 1998)

(11) विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी :-

- (1) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 :- इस अधिनियम के अधीन भागीदारी फर्मों का पंजीयन किया जाता है, तथा समय-समय पर भागीदारों में व फर्मों की रचना में जो परिवर्तन होते हैं उनको भी रिकार्ड में लिया जाता है तथा फर्मों में भागीदारों द्वारा अथवा अन्य द्वारा चाहे जाने पर प्रलेखों की प्रतियां जारी की जाती हैं ।
- (2) छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित 1998):- इस अधिनियम के अधीन शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामान्य जनकल्याणकारी व अन्य प्रकार की स्वयंसेवी संस्थाओं, शासकीय एजेंसियों, अर्द्ध शासकीय संस्थाओं का भी समिति के रूप में पंजीयन किया जाता है । पंजीयत संस्थायों की जांच, विशेष आडिट, निरीक्षण, निर्वाचन, प्रशासन की नियुक्ति जैसे आदि कार्य किया जाता है । संस्था के विधान में जो संशोधन समय-समय पर किया जाता है उनको भी अनुमोदन कर रिकार्ड पर लिया जाता है । संस्था द्वारा प्रेषित वार्षिक जानकारीयों पर भी कार्यवाही की जाती है ।

(12) सामान्य या प्रमुख विशेषतायें:- संभागीय कार्यालय में सिटीजन चार्ट प्रणाली लागू है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के प्रकरणों को निपटाने के लिये समय-सीमा निर्धारित है ।

(13) महत्वपूर्ण सांख्यिकी :- इस विभाग द्वारा उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत 1 अप्रैल 2006 से 31/3/2007 तक किये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित 1998) के अधीन 1/4/2006 से 31/3/2007 तक 4675 सोसायटी पंजीकृत ।
2. भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 में 1/4/2006 से 31/3/2007 तक 597 फर्म पंजीकृत ।

भाग-2

(14) बजट सिंहावलोकन (एक दृष्टि में) :-

| | | |
|-----|---|--------------|
| (क) | दिनांक 1/4/2006 से 31/3/2007 तक आबंटित बजट - | 41,63,000.00 |
| (ख) | दिनांक 1/4/2006 से 31/3/2007 तक की गयी व्यय - | 34,86,872.00 |
| (ग) | दिनांक 1/4/2006 से 31/3/2007 तक प्राप्त आय - | 82,39,343.00 |

उपरोक्त बजट आयोजनेत्तर मद का है । आयोजना में कोई आबंटन नहीं है ।

भाग-3

(15) राज्य योजनायें तथा केंद्र परिवर्तित योजनायें कोई नहीं है ।

भाग-4

(16) सामान्य प्रशासनिक विषय :- कोई नहीं ।

भाग-5

(17) सारांश :- कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ छत्तीसगढ़ विभागाध्यक्षीय कार्यालय है । इसका मुख्यालय रायपुर में है एवं विभागाध्यक्ष रजिस्ट्रार है । इस कार्यालय के अधीन दो संभागीय कार्यालय क्रमशः रायपुर एवं बिलासपुर में कार्यरत् है ।

रजिस्ट्रार को छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित 1998) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत पंजीयन व प्रशासन का कार्य सौंपा गया है ।

(संजीव बख्शी)
रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएँ छ.ग.